न्यूज़ टुडे

ARCs को दिवालिया कंपनियों में समाधान आवेदक (Resolution Applicants:RAs) के रूप में शामिल करने हेतु SARFAESI अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है।

IBC	बनाम	SARFAESI अधिनियम
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)		वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI act)
यह समयबद्ध रूप से **दिवाला समाधान प्रक्रिया और परिसमापन** के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करती है।		यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को उन **आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की प्रत्यक्ष नीलामी** करने का अधिकार प्रदान करता है, जो उधारकर्ताओं से ऋण की वसूली के लिए उनके पास गिरवी रखी गई होती हैं।
IBC का दायरा व्यापक है, क्योंकि इसके तहत सभी प्रकार के लेनदारों यथा: **वित्तीय और परिचालनात्मक; सुरक्षित एवं असुरक्षित** दोनों को शामिल किया जाता है।		यह **सुरक्षित लेनदारों** को अपने सुरक्षा हितों को लागू करने हेतु सशक्त बनाता है।
इसे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India) के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है।		इसे **वित्त मंत्रालय और RBI** द्वारा विनियमित किया जाता है।
IBC भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत ARCs को समाधान आवेदक के रूप में कार्य करने और समाधान योजना प्रस्तुत करने की विशिष्ट अनुमति प्रदान करती है।		SARFAESI अधिनियम इस तथ्य पर मौन है कि क्या ऐसी फर्में ऐसा कर सकती हैं या नहीं।

- हाल ही में, RBI ने एयरसेल की समाधान योजना (resolution plan) को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया है कि **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां** (Asset Reconstruction Companies: ARCs) समाधान स्तर पर एक दिवालिया कंपनी में इक्विटी का अधिग्रहण नहीं कर सकती हैं।
- इससे **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC)** और **SARFAESI अधिनियम के मध्य इस संदर्भ में अधिकार संबंधी संघर्ष** उत्पन्न हो गया है कि क्या ARCs दिवालिया कंपनियों के लिए बोली लगा सकती हैं या नहीं।
  - ARC, **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम** (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest: SARFAESI act) के तहत एक पंजीकृत कंपनी है। यह एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था है, जो **बैंक की ऋणी कंपनियों से उनके ऋण का पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर खरीद करती है** और ऐसे ऋण या संबंधित प्रतिभूतियों को स्वयं अर्जित करने का प्रयास करती है।
    - ❖ RBI द्वारा ARCs को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में विनियमित किया जाता है।
- यद्यपि, IBC भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत ARCs को **समाधान आवेदक के रूप में कार्य करने** और समाधान योजना प्रस्तुत करने की विशिष्ट अनुमति प्रदान करती है, तथापि SARFAESI अधिनियम इस तथ्य पर मौन है कि क्या ऐसी फर्में ऐसा कर सकती हैं या नहीं।
  - **समाधान आवेदक (RA) का अर्थ है एक व्यक्ति** जो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से **समाधान वृत्तिक (resolution professional) के समक्ष समाधान योजना प्रस्तुत करता है।**

चावल को अधिक पोषणयुक्त (फोर्टिफिकेशन) बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से इसके वितरण हेतु केन्द्र प्रायोजित पायलट योजना

- इस योजना का संचालन **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution)** द्वारा किया जा रहा है। यह योजना पोषण सुरक्षा में सुधार करने हेतु वर्ष 2019–2020 से आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित की गई है।
  - इस पायलट योजना को लागू करने के लिए **15 राज्य सरकारों द्वारा** अपने–अपने जिलों की (प्रति राज्य एक जिला) पहचान की गई है।
- फोर्टिफिकेशन एक प्रक्रिया है, जो चावल, दूध एवं नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के **पोषक तत्वों को बढ़ाने हेतु** आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और D जैसे प्रमुख विटामिनों एवं खनिजों के समावेशन पर बल देती है। हालांकि ये पोषक तत्व, प्रसंस्करण से पूर्व खाद्य पदार्थों में मूल रूप से मौजूद हो भी सकते हैं या नहीं भी।
  - इसके माध्यम से जनसंख्या के **एक वृहद हिस्से के स्वास्थ्य में एक साथ सुधार किया जा सकता है।**
  - **इससे खाद्य पदार्थों की विशेषताओं** जैसे कि स्वाद, आकृति आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- चूँकि, चावल 65% भारतीय लोगों का एक मुख्य आहार है, इसलिए **चावल का फोर्टिफिकेशन व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।**
- **सरकार ने अपने विभिन्न खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों,** जैसे– सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम आदि के माध्यम से लगभग 800 मिलियन सुभेद्य लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों तक पहुँच स्थापित की हुई है, जिसके कारण सरकार द्वारा चावल की अधिकतम खरीद की जाती है।

राजीव गांधी की हत्या के दोषी अभियुक्त की दया याचिका के विगत 2 वर्षों से लंबित रहने पर उच्चतम न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की है

- **राजीव गांधी हत्याकांड मामले** में दोषी करार दिए गए ए. जी. पेरारिवलन की दया याचिका **राज्यपाल के समक्ष 2 वर्षों से अधिक समय से लंबित** है।
  - वर्ष 2018 में तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया था और **इस मामले में सभी सात अभियुक्तों की समयपूर्व रिहाई के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल से अनुशंसा की थी।**
- उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर दिया है कि इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा **अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना अनुचित होगा,** क्योंकि क्षमा के लिए पेरारिवलन की याचिका पहले ही अनुच्छेद 161 के प्रावधानों के अधीन राज्यपाल के पास लंबित है।
  - **अनुच्छेद 142** उच्चतम न्यायालय को **"पूर्ण न्याय"** प्रदान करने के लिए किसी भी आदेश को जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
  - **अनुच्छेद 161** राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति से संबंधित है।
- **राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति:**
  - **अनुच्छेद 161 के अनुसार,** किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।
  - ज्ञातव्य है कि राज्यपाल को **मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर** कार्य करना होता है। हालांकि, राज्यपाल का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होता है।
  - राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति के विपरीत, राज्यपाल **मृत्युदंड की सजा** को क्षमा नहीं कर सकता है।

NCAER के एक सर्वेक्षण के अनुसार, सटीक पूर्वानुमान किसानों व मछुआरों को करोड़ों रुपये की बचत करने में सहयोग कर सकती है

- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) ने **राष्ट्रीय मानसून मिशन** (National Monsoon Mission: NMM) और उच्च निष्पादन संगणन (High-Performance Computing: HPC) **सुविधाओं** के किसानों, पशुपालकों एवं मछुआरों पर पड़ने वाले **आर्थिक प्रभावों का आकलन** करने के लिए एक सर्वेक्षण जारी किया है।
  - **NMM को देश में मौसम पूर्वानुमान के लिए एक गतिशील पूर्व–सूचना प्रणाली** स्थापित करने तथा **मानसून पूर्वानुमान कौशल में सुधार करने** के उद्देश्य से आरंभ किया गया था।
  - **बेहतर मौसम पूर्वानुमान परिचालन के लिए** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत **HPC सुविधाओं** में 10 पेटाफ्लॉप की बढ़ोतरी की गई है।
- **सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष:**
  - 1,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ, NMM और HPC सुविधाओं के परिणामस्वरूप आर्थिक लाभों में 50 गुना वृद्धि हुई है।
    - ❖ **मौसम के मानकों पर आधारित कृषि पद्धतियाँ,** किसानों को उनकी क्षति को कम करने और उनकी आय बढ़ाने में सहायता करती हैं।
    - ❖ मौसम आधारित समयबद्ध परामर्श, पशुपालकों **को उचित टीकाकरण समय सारणी तथा चारा और अन्य पशुधन प्रबंधन प्रथाओं** का अनुपालन करने में सहायता करता है।
    - ❖ मत्स्यन के लिए **महासागर राज्य पूर्वानुमान** (Ocean State Forecast: OSF) परामर्शों के आधार पर समुद्र में जाने का निर्णय, परिचालन लागत को कम करते हुए मछुआरों की आजीविका को काफी प्रभावित करता है।
- मौसम की जानकारी की सटीकता ने समय के साथ इसकी पहुंच और उपयोग की आवृत्ति में सुधार किया है।

5G अवसंरचना के लिए बैक एंड तकनीक के परिनियोजन में विलंब हो रहा है

- अधिकांश राज्यों और केंद्र के मध्य **महत्वपूर्ण टेलीकॉम अवसंरचना स्थापित करने की नीतियों में मतभेद होने के कारण** 5G तकनीक के कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है।
- **मौजूदा चुनौतियां:**
  - मोबाइल टावर स्थापित करने और फाइबर केबल बिछाने के लिए **राज्यों द्वारा कंपनियों पर आरोपित शुल्क।**
  - राज्यों में **विभिन्न स्तरों, जैसे– नगरपालिका, पंचायत आदि पर विविध नीतियां** मौजूद हैं, जिनके कारण निचले स्तर पर दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - केवल 18 राज्यों ने ही **राइट ऑफ़ वे (Right of Way: RoW) नीति** के विकल्प का चयन किया है।
    - देश में दूरसंचार अवसंरचना के विकास को सरल बनाने के लिए, वर्ष **2016 में केंद्र सरकार ने राइट ऑफ़ वे नीति को प्रस्तुत किया था।**
    - यह टेलीकॉम टावरों को स्थापित करने, फाइबर केबल बिछाने, समयबद्ध तरीके से विवादों को निपटाने और निजी फर्मों, राज्यों एवं स्थानीय निकायों के मध्य समन्वय में सुधार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

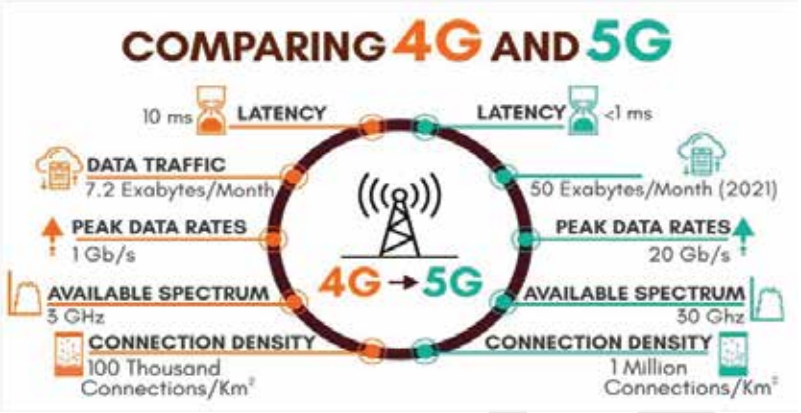

- चूंकि, भारत 5G सेवाओं को लॉन्च करने के लिए प्रयासरत है, अतः डेटा ट्रैफिक की मात्रा में और वृद्धि होने की भी संभावना है। इसलिए, संचालकों (ऑपरेटर्स) के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने टॉवर स्थलों तक फाइबर अवसंरचना का विस्तार करें।
  - वर्ष 2018 की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के अनुसार, 4G डेटा की बढ़ती मांग और 5G प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में देश भर के टावरों में फाइबर के उपयोग को वर्तमान के 31% से बढ़ाकर 60% तक करने की आवश्यकता है।

अन्य सुर्खियाँ

अंतर–संसदीय संघ (Inter Parliamentary Union:IPU)	○ हाल ही में, पुर्तगाल के दुतेर्ते पचेको (Duarte Pacheco) का अंतर–संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। ○ IPU **राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन** है। यह **संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने** के प्रति समर्पित है। ➢ **भारत सहित** विश्व के 193 देशों में से **179 देशों की संसद, इसके सदस्य** के रूप में शामिल हैं। ○ इसके अध्यक्ष का चुनाव **शासी परिषद** द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से **3 वर्ष के कार्यकाल हेतु** किया जाता है।
सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign Wealth Fund:SWF)	○ बजट घोषणा के अनुरूप, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड (SWF) मिक रेडवुड 1 आर.एस.सी. लिमिटेड (MIC Redwood 1 RSC Limited) को आयकर छूट की अनुमति प्रदान की है। ➢ यह प्रथम विदेशी SWF है, जिसे बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए ब्याज, लाभांश और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से आय के मामले में **100% कर छूट** प्रदान की गई है। ○ SWF एक **राज्य के स्वामित्व वाली निवेश निधि** होती है, जो सरकार द्वारा सृजित धन से निर्मित होती है। SWF को प्रायः देश के अधिशेष भंडार से प्राप्त किया जाता है। ➢ उदाहरण के लिए: **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष** (National Investment and Infrastructure Fund: NIIF) भारत का प्रथम SWF है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) 'टू–स्पीड ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम' की अनुमति दे सकता है {Securities and Exchange Board of India (SEBI) may allow a two-speed trade-settlement system}	○ सेबी एक **वैकल्पिक T+I (ट्रेड प्लस वन डे)** निपटान प्रक्रिया की अनुमति प्रदान कर सकता है। यह एक ऐसा कदम है, जो निवेशकों को यह तय करने का अवसर प्रदान करेगा कि क्या वे लेन–देन को तीव्र प्रक्रिया के माध्यम से या मौजूदा T+2 प्रणाली द्वारा ही सम्पादित करना चाहते हैं। ➢ निपटान तिथि उस अवधि का प्रतिनिधित्व करती है, जिस दौरान स्वामित्व स्थानांतरित किया जाता है। ○ **हालांकि तरलता में सुधार, दक्षता को बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए** सेबी निपटान प्रक्रिया को एक दिन आगे बढ़ाना चाहती है।
सामान्य सेवा केंद्र ग्रामीण ई–स्टोर {Common Service Centre (CSC) Grameen eStore}	○ सरकार के **ग्रामीण ई–कॉमर्स उपक्रम ने** लगभग **100 करोड़ रुपये का कुल व्यापार** और प्रारंभ होने के आठ माह के भीतर ही लगभग एक मिलियन का लेन–देन संपन्न किया है। ○ CSC ग्रामीण ई–स्टोर, **CSC विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा संचालित** डिजिटल ऑर्डरिंग और उपभोक्ता के घर पर ही वस्तुओं की सुरक्षित डिलीवरी हेतु एक ई–कॉमर्स पहल है। ○ **CSC ई–ग्रामीण स्टोर** द्वारा अपने परिचालन को आगे बढ़ाने के लिए बड़े ब्रांड्स और निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं को भी शामिल किया गया है। ○ CSC ग्रामीण ई–स्टोर स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों आदि जैसे स्थानीय विनिर्माताओं के साथ भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए **वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा** देता है।
वायु प्रदूषण से निपटने हेतु राज्यों को 2,200 करोड़ रुपये का अनुदान (States granted Rs 2,200 crore to fight air pollution)	○ केंद्र सरकार ने इस धनराशि को एक लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वीकृत किया है। इस धन का उपयोग इन शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम** (National Clean Air Programme: NCAP) के तहत किया जाएगा। हालांकि इस अनुदान के तहत दिल्ली को धनराशि प्रदान नहीं की जाएगी। ➢ NCAP का लक्ष्य सौ से अधिक शहरों में कणिकीय पदार्थ (Particulate matter: PM) 2.5 (श्वसनीय प्रदूषण कणों) की सांद्रता को वर्ष 2017 के स्तरों की तुलना में 20.30% तक कम करना है। ○ यह धनराशि **स्थानीय शहरी निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की क्षमता के निर्माण हेतु उपयोग की जाएगी।**
कोविड–19 श्री शक्ति चैलेंज (COVID-19 Shri Shakti Challenge)	○ इस चैलेंज को अप्रैल 2020 में **यू.एन. वीमेन के सहयोग से MyGov** द्वारा प्रारंभ किया गया है। ➢ यू.एन. वीमेन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति समर्पित है। ○ इसका उद्देश्य **महिला उद्यमिता और महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों का समर्थन करना और उनको बढ़ावा देना** है। साथ ही, बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करने वाले उद्यमों को आगे लाना है। ○ इसके अंतर्गत **प्रौद्योगिकी (जैसे– जैव सूचना विज्ञान, डेटासेट, निदान के लिए ऐप्स आदि) के क्षेत्र में समाधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले** उद्यमियों और व्यक्तियों को कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष को मजबूत करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चंडीगढ़
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC